

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.11(9)नवि/पीपलू(टोंक)/2026-18202

जयपुर, दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को पीपलू (जिला-टोंक) के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष-2047 तैयार करने हेतु नियुक्त करती है :-

क्र.स.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	तहसील का नाम
1.	पीपलू	Peepalu	पीपलू
2.	मोहनाबाद	Mohanabad	पीपलू
3.	प्रदोषनगर	Pradoshnagar	पीपलू
4.	देवपुरा	Devpura	पीपलू
5.	नाथड़ी	Nathri	पीपलू
6.	मोहम्मदनगर	Mohammadnagar	पीपलू
7.	सिसोला	Seesola	पीपलू
8.	मसूदपुरा	Masoodapura	पीपलू
9.	बलखण्डिया	Balkhandiya	पीपलू
10.	काशीपुरा	Kashipura	पीपलू
11.	अलीमपुरा	Alimpura	पीपलू
12.	आजमपुरा	Azampura	पीपलू
13.	कल्याणपुरा जाटान	Kalyanpura Jatan	पीपलू
14.	प्यावड़ी	Fyawari	पीपलू
15.	मवासीपुरा	Mawasipura	पीपलू

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, टोंक।
6. मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीपलू-टोंक।
10. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy
Secretary To Government
Date :10-08-2026 06:05:17

RajKaj Ref No.:
23917515